भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 390

(जिसका उत्तर सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है)

आर्थिक असमानता

390. श्री दीपक बैज:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आर्थिक असमानता में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान देश में अमीर और गरीब के बीच हुई आर्थिक असमानता संबंधी आंकड़ों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में अमीर और गरीब लोगों के बीच की खाई को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): भारत में, आय के वर्ग वितरण संबंधी आंकड़े केंद्रीय स्तर पर संकलित नहीं किए जाते हैं। हालाँकि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा एकत्र किए गए घरेलू उपभोग व्यय संबंधी आंकड़ों का उपयोग उपभोग व्यय की आर्थिक असमानता का पता लगाने के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में किया जा सकता है। घरेलू उपभोक्ता व्यय पर वृहत नमूना सर्वेक्षण के अद्यतन आंकड़े एनएसएसओ द्वारा वर्ष 2011-12 में आयोजित उसके 68वें दौर में एकत्र किए गए है। ग्रामीण क्षेत्रों में गिनी गुणांक (जनसंख्या के विभिन्न व्यय वर्गों के बीच असमानता को मापना) को वर्ष 2004-05 और वर्ष 2011-12 में क्रमशः 0.27 और 0.28 पर लगभग समान पाया गया है। शहरी क्षेत्रों में, गिनी गुणांक वर्ष 2004-05 में 0.35 से मामूली बढ़कर वर्ष 2011-12 में 0.37 हो गया है।

इसके अलावा, नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट, 2022, भारत में बहुआयामी गरीबी की व्यापकता में उल्लेखनीय गिरावट दर्शाती है। रिपोर्ट के अनुसार, जनसंख्या में बहुआयामी गरीबों का अनुपात वर्ष 2015-16 में 24.85% से घटकर वर्ष 2019-21 में 14.96% हो गया है। परिणामस्वरूप, अनुमान है कि वर्ष 2015-16 और वर्ष 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से निकल गए हैं। नीति आयोग का आगे अनुमान है कि भारत में बहुआयामी गरीबी वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में 11.28% हो गई है और इस अवधि के दौरान लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से निकल गए हैं।

(ग): सरकार का प्राथमिक नीतिगत उद्देश्य जनसंख्या के सभी वर्गों का विकास है। समावेशी विकास पर इसका सकेन्द्रण गरीबी और असमानता को कम करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, आय सृजन और आजीविका विकल्प प्रदान करने और देश में आबादी के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए "*सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास"* की प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है। जैसा कि 2024-25 अंतरिम बजट में भी उल्लिखित है, सरकार के विकास दर्शन में समावेशिता के सभी तत्व, नामतः समाज के सभी वर्गों को सम्मिलित करते हुए सामाजिक समावेशिता और देश के सभी क्षेत्रों के विकास के माध्यम से भौगोलिक समावेशिता शामिल है।

इस संबंध में, सरकार कई लक्षित कार्यक्रम लागू कर रही है जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम; राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; पीएम-किसान, पीएम फसल बीमा योजना के तहत निधि अंतरण; उर्वरक सब्सिडी; डेयरी सहकारी समितियों के लिए ब्याज सहायता; फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के लिए कृषि-इंफ्रास्ट्रक्चर निधि आदि। सरकार ने उन कारीगरों और शिल्पकारों को, जो अपने हाथों और औजारों से कार्य करते हैं, हर प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए 17 सितम्बर 2023 को पीएम विश्वकर्मा स्कीम आरम्भ की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 3 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त "उद्यम विकास ऋण" शामिल है।

इसके अलावा, बुनियादी सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए सरकार जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत आदि सहित विभिन्न कार्यक्रम लागू कर रही है।

सरकार ने वर्ष 2018 से आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) भी लागू किया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छह क्षेत्रों; (i) स्वास्थ्य और पोषण, (ii) शिक्षा, (iii) कृषि और जल संसाधन, (iv) वित्तीय समावेशन, (v) कौशल विकास, और (vi) बुनियादी ढांचा में चिन्हित किए गए जिलों का व्यापक विकास करना है। इस पहल को और मजबूत करने के लिए, सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी अवसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की परिपूर्णता के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है।

कोविड-19 के दौरान, सरकार ने अप्रैल 2020 से लागू, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के माध्यम से लोगों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के जीवन और आजीविका पर वैश्विक महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कई लक्षित कार्य किए इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), महिला जन धन खाताधारकों को नकद अंतरण, कोविड -19 के रोगियों की देखरेख करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा कवर, मनरेगा मजदूरी में वृद्धि, संगठित क्षेत्रों में कम मजदूरी पाने वालों के लिए सहायता आदि शामिल हैं। पीएमजीकेएवाई स्कीम को दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न का आवंटन नियमित आवंटन के अतिरिक्त था।
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को दूर करने के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के लाभार्थियों अर्थात अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) को, पीएमजीकेएवाई के तहत 1 जनवरी 2023 से शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और एनएफएसए के प्रावधानों को मजबूत करने के लिए, गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के संदर्भ में और सभी राज्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, केंद्र सरकार ने एनएफएसए के तहत पात्रता के अनुसार, 1 जनवरी, 2024 से पांच साल की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत लगभग 81.35 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों (यानी एएवाई परिवारों और पीएचएच लाभार्थियों) को मुफ्त खाद्यान्न लगातार उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।

बजट 2023-24 के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में "समावेशी विकास" को ध्यान में रखते हुए, प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) को 15 नवंबर 2023 को शुरू किया गया था। यह स्कीम 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण पहलों पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य पीवीटीजी के परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार तक बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करके पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। पीएम-जेएएनएमएएन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त 15 जनवरी 2023 को जारी कर दी गई है।

इसके अलावा, यह मानते हुए कि अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश की वृद्धि और रोजगार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, हाल के वर्षों में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ावा मिला है। वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में पूंजीगत निवेश परिव्यय में 33 प्रतिशत की वृद्धि करके 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत और वर्ष 2019-20 में परिव्यय का लगभग तीन गुना है। 2024-25 के अंतरिम बजट में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 11.11 लाख करोड़ किया गया है। केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष पूंजीगत निवेश राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत आस्तियों को सृजित करने के प्रावधान द्वारा संपूरित किया जाता है, इसलिए केंद्र के "प्रभावी पूंजीगत व्यय" वर्ष 2023-24 के (सं.आ.) के लिए 12.71 लाख करोड़ रुपये था और वर्ष 2024-25 में (ब.अ.) के लिए 14.97 लाख करोड़ रुपये का बजट है। हाल के वर्षों में यह पर्याप्त वृद्धि विकास क्षमता और रोजगार सृजन को बढ़ाने, निजी निवेश में निवेशकों को बढ़ाने और वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगी।

****